अर्द्धशा0 परिपत्र संख्या-डीजी-२९ /2013

देवराज नागर,
आईपीएस

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1-तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांकः लखनऊः जून२० ,2013

प्रिय महोदय,

ज्ञातव्य है कि वर्ष-1987 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए सेमीनार में प्रत्येक वर्ष 26 जून को **"मादक पदार्थों का दुरूपयोग एवं अवैध व्यापार विरोधी अन्तर्राष्ट्रीय दिवस"** के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया था। इस घोषणा के दृष्टिगत सम्पूर्ण विश्व में प्रत्येक वर्ष 26 जून को ड्रग के दुरूपयोग को नियंत्रण करने एवं उसके कुप्रभावों के प्रति जनसामान्य में जागरूकता लायी जाती है।

2. यूनाइटेड नेशन्स आफिस आन ड्रग एवं क्राइम द्वारा **"थिंक हेल्थ नाट ड्रग्स"** का स्लोगन दिया गया है। महानिदेशक, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, नई दिल्ली ने इस अवसर पर सभी प्रवर्तन एजेन्सियों से यह अपेक्षा की है कि वे न केवल ड्रग तस्करों को पकड़ने का प्रयास करें, वरन ड्रग के कुप्रभावों के प्रति जनसामान्य में जागरूकता लायें।

3. नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा मादक पदार्थों की बिक्री एवं सेवन की रोकथाम हेतु तथा इसके दुष्परिणामों के संबंध में जनचेतना जागृत करने के लिए दिनांक 26 जून, 2013 को निम्नांकित कार्यक्रम आयोजित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है:-

- स्कूल, कालेज एवं झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्रों में जागरूकता हेतु कार्यक्रम आयोजित करायें।
- ड्रग के विरोध में मार्च/दौड़/रैली आयोजित करायें।
- ड्रग के कुप्रभाव और एच0आई0वी0 के संबंध में जनसामान्य को परिचित कराने हेतु सार्वजनिक बैठक, विशेषरूप से गली मोहल्लों के बच्चों, जेल में निरूद्ध व्यक्तियों, ट्रक ड्राइवर व झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्र में करायें।
- ड्रग के कुप्रभावों के संबंध में प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा सेमिनार का आयोजित करायें।
- वर्तमान परिवेश में ड्रग की आपूर्ति एवं मॉग को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रवर्तन एजेन्सियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की समन्वय बैठक का आयोजन करायें।
- विभिन्न शहरों एवं कस्बों में ड्रग के कुप्रभावों के बारे में प्रदर्शनी का आयोजन करायें।
- मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा एस0एम0एस0 करायें।
- बैनरर्स, पोस्टरों, पम्पलेट, होर्डिंगों तथा सिनेमा स्लाइडों द्वारा विस्तृत प्रसार करायें ।

4. अतः आप 26 जून, 2013 व उसके उपरान्त एक पक्ष तक **"मादक पदार्थों का दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार विरोधी अन्तर्राष्ट्रीय दिवस"** के अवसर पर उपरोक्तानुसार कार्यक्रम आयोजित करायें तथा कृत कार्यवाही की आख्या पुलिस महानिरीक्षक, प्रभारी राज्य नारकोटिक्स सेल, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित करें।

भवदीय,

20.6.13

(देवराज नागर)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से)
प्रभारी जनपद/रेलवे,
<u>उत्तर प्रदेश</u>।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1) महानिदेशक, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, पश्चिमी खण्ड-1, विंग-5, आर0के0पुरम, नई दिल्ली को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-VIII/03/UNDay/P&C/2013, दिनांक 28-05-2013 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2) अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0।
3) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4) समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
5) पुलिस महानिरीक्षक, प्रभारी राज्य नारकोटिक्स सेल, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों का फीड बैक जनपदों से प्राप्त कराकर महानिदेशक, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, नई दिल्ली को भिजवाना सुनिश्चित करें।